न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-86/2014

ओमप्रकाश पुत्र देवीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर(राज0)

--अपीलान्ट--

--बनाम--

1- बजरंग पुत्र मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी दादिया तहसील व जिला सीकर ।

2- चन्द्रकला पत्नी सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी रामनगर तन गुगारा तहसील व जिला सीकर ।

3- कारपोरेशन बैंक शाखा सीकर जरिये प्रबन्धक ।

4- उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर ।

5- पटवारी पटवार हल्का दादिया जिला सीकर ।

6- तहसीलदार तहसील व जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक
19-6-2014 द्वारा सहायक
कलेक्टर(द्वितीय) सीकर ।

---0---

उपस्थिति-

1-श्री नोपाराम जांगिड एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 16.5.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दादिया में आराजी ख0नं0 648 रकबा 0.85 हैक्टर, ख0नं0 649 रकबा 0.85 हैक्टर जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या-1 व 2 का 1/4 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार कब्जा है । इसके अलावा आराजी ख0नं0 23 रकबा 1.77 हैक्टर, ख0नं0 22 रकबा 1.54 हैक्टर है । जिसमें ख0नं0 23 में अप्रार्थी सं0-1 का 1/2 हिस्सा एवं अन्य खातेदार यावली का 1/2 हिस्सा है तथा ख0नं0 22 प्रार्थी के पूर्वज की खातेदारी में दर्ज था जिसे विक्रय कर दिया गया । ख0नं0 23 व 22 में रकबे का अन्तर 0.23 हैक्टर है जो अप्रार्थी सं0-1 के 1/2 हिस्से की भूमि में सम्मिलित है जो प्रार्थी के कब्जे व अधिकार की भूमि है। अन्य खातेदार यावली से कोई विवाद नहीं है । ख0नं0 648 व 649 का विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है । किन्तु अप्रार्थी ने धमकी दी है कि वह अपने हिस्से की आराजी का अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देंगे तथा आवागन नहीं करने देगें। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है अपीलान्ट ने अदालत मातहत में बंटवारा से पूर्व विवादित आराजी का अन्तरण विक्रय न करने के लिये पाबन्द करने का प्रार्थना पत्र पेश किया । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है जब तक विधिवत बंटवारा नहीं होता है विवादित आराजी को विक्रय अन्तरण करने के लिये पाबन्द किये जाने से रेस्पोंडेन्ट को न तो किसी प्रकार की क्षति होती और न ही किसी प्रकार का विपरित असर पडता है । अदालत मातहत ने केवल सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही मानकर प्रार्थ ना पत्र खारिज करने मे कानूनी भूल की है ।यदि अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट विवादित आराजी का अन्तरण विक्रय किसी अजनबी व्यक्ति को कर देगें तो अपीलान्ट को भारी क्षति होगी

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों मे दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आवश्यकता हो तो सहखातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है जिसके समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 330, आरआरडी 1995 पेज 764, आरबीजे(9) 2002 पेज-106, आरएलडब्लू 2010(1) राज0 पेज38 पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज है हम विवादित आराजी के सहखातेदार है और एक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा यह कानून की अवधारणा है । विवादित आराजी केवल राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जबकि मौके पर काफी वर्षों पूर्व ही बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज है । ख0नं0 22 व 23 में रकबे का जो 0-23 हैक्टर अन्तर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 के हिस्से में सम्मिलित होना बताया है वह गलत है । ख0नं0 23 पर अपीलान्ट का किसी भी हिस्से पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । ख0नं0 23 में रेस्पोडेन्ट संख्या-1 का 1/2 हिस्सा है जिसका वह रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा शेष 1/2 हिस्सा वासुदेव, चम्पादेवी के नाम दर्ज है जिसने 15 वर्ष पूर्व ही बैचान कर दिया जिसकी खातेदार चावली देवी है । अपीलान्ट का इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । ख0नं0 648 व 649 का काफी वर्षों पूर्व बंटवारा कर मौके पर अपने अपने हिस्से पर काबिज है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है । बहस के समर्थन में आरआरटी 2013(2) पेज-1108 आरआरटी 2013(1) पेज 133 एवं आरआरटी 2009(1) पेज 25 पेश कर अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

प्रकरण अधिकारी एव

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0- 2066 से 2069 में ख0नं0 648, 649 कुल किता-2 रकबा 1.7000 हैक्टर की खातेदारी द्रोणाचार्य पुत्र देबू हि0 1/2 बजरंग पुत्र मोहन हि0 1/4, चन्द्रकला पत्नी सीताराम हि0 1/4 के नाम दर्ज है । नामा0सं0 772 से द्रोणाचार्य के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र देवीदत्त का नाम दर्ज हुआ। ख0नं0 649 व 648 का नक्शा देखने पर ख0नं0 649 उत्तर में तथा ख0नं0 648 दक्षिण में है ।ख0नं0 649 की उत्तरी सीमा पर रास्ता है । जमाबन्दी मे खाता संयुक्त रूप से दर्ज है । आराजी का बिना विधिवत बंटवारा किये बैचान किया जाता है औरा बैचान के बाद आवागमन में रूकावट होती है तो ऐसी परिस्थिति मे एक सह खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है जैसा विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों से स्पष्ट है है ।विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने जो नजीर पेश की है उनमें एक सहखातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता किन्तु प्रस्तुत प्रकरण के तथा प्रस्तुत नजीरो के तथ्य भिन्न है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय)सीकर का निर्णय दिनांक 19-6-2014 खारिज किया जाता है तथा उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है दौराने दावा आराजी का विक्रय एवं अन्तरण नहीं करें तथा एक दूसरे के कब्जा काश्त में कोई दखल अन्दाजी नहीं करें आवागमन में कोई बाधा कारित ना करें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.5.2018 को सुनाया गया ।

(सही) 16/5/18
(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर